



एक मंच - एक लक्ष्य
सशक्त युवा - सशक्त राष्ट्र

अखिल भारतीय मारवाड़ी युवा मंच

मूल्य : 15 रुपये मासिक
150 रुपये वार्षिक

मंच संदेश

वर्ष 33, अंक 209, पृष्ठ 04, 04-05 मई 2025 | Web-Site: www.aimym.org | Email: mayumhq@gmail.com

मंच दर्शन - मंच आधार | जनसेवा मंच भाव : समाज सुधार | मंच शक्ति : व्यक्ति विकास | मंच चाह : सामाजिक सम्मान एवं आत्मसुरक्षा | मंच लक्ष्य : राष्ट्रीय विकास एवं एकता

R.N.I REGN. No. : 61416/1994 | POSTAL REGN. : DL (DG-11)/8052/2024-2026 | LICENSED TO POST WITHOUT PRE PAYMENT U (DN) 165/2024-2026

POSTED AT : DELHI RMS. DELHI-6 | PUBLICATION DATE : 02-03 & 17-18 | POSTING DATE : 04-05 & 19-20 FORT NIGHTLY

युवा साथियों, मंच अभिवादन!

मई महीने की तेज धूप में सूर्यदेव की प्रखर किरणें हमें ऊर्जा देती हैं, लेकिन कश्मीर के पहलगाम में हुआ आतंकवादी हमला हमें चिंतित करता है।

अखिल भारतीय मारवाड़ी युवा मंच की ओर से पहलगाम में आतंकवादी हमले में मारे गए निर्दोष नागरिकों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए अपने आप को देश की रक्षा के लिए संकल्पित करते हैं। हमारे इन नागरिकों का बलिदान हमें आतंक के विरुद्ध एकजुट होने की प्रेरणा देता है। हमें अपने शहीदों के बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने देना है। आतंक के डर को अपने सपनों पर हावी नहीं होने देना है। नफरत की आंधी में इंसानियत के दीपक को बुझने नहीं देना है। हमें और भी ज्यादा प्रेम, एकता और धैर्य के साथ आगे बढ़ना है। समय है एकजुट होने का, एक नई दिशा में संकल्प के साथ कदम बढ़ाने का।

साथियों, हम इस माह को अमृतधारा माह के रूप में मनाने जा रहे हैं। प्रचंड गर्मी में जनमानस के सूखे कंठ की प्यास को बुझाने से बड़ा कोई धर्म और पुण्य नहीं। यह नेक कार्य है जो प्यासे राहगीर को शुद्ध और साफ पानी उपलब्ध कराता है और उन्हें गर्मी से राहत देता है। मारवाड़ी परिवार के प्राचीन काल से चले आ रहे इन संस्कारों को और गति देते हुए अपनी क्षमता अनुसार स्थायी या अस्थायी अमृतधारा जरूर लगवाएं।

मन की बात

सुरेश एम. जैन
राष्ट्रीय अध्यक्ष



इसके अलावा, जीवदया के तहत अपने-अपने घर की छत पर मिट्टी के बर्तन में पानी रखने की आदत स्वयं से शुरुआत करें और परिवारजन बच्चों को भी प्रेरित करें एवं हो सके तो अपने क्षेत्र में पंछियों व जीवों के लिए भी जीव अमृतधारा लगावाएं।

इस माह 99 मई को मातृत्व दिवस आ रहा है। यह एक सांस्कृतिक त्यौहार है जिसे दुनिया भर में मनाया जाता है। यह दिन माँ के प्रति सम्मान और प्यार व्यक्त करने का एक अवसर है। मातृत्व दिवस पर नारी चेतना के अंतर्गत दो प्रतियोगिताएं आयोजित की गई हैं - निबंध और काव्यलेखन। सभी युवा साथी बढ़-चढ़कर अपनी सहभागिता दें और इस कार्यक्रम को भी यशस्वी बनाएं।

दोस्तों, कठिन परिस्थितियाँ केवल हमारी परीक्षा ही नहीं लेती, बल्कि हमारे अंतरमन को भी निखारती हैं। जैसे आम का फल तब अधिक मीठा होता है जब वह भीषण गर्मी को सहन करता है, वैसे ही हमारा हर एक युवा आई हुई चुनौतियों को स्वीकार कर अपने आप को निखारेगा। मंच के उद्देश्यों को अपने सफलतम प्रयास से पूर्ण करेगा। सेवा और सौहार्दपूर्ण व्यवहार से आपसी, पारिवारिक और सामाजिक तालमेल की जिम्मेदारी बखूबी निभाएगा। तभी हमारे मंच-दर्शन के उद्देश्य सफल होंगे।

एक मंच, एक लक्ष्य - सशक्त युवा, सशक्त राष्ट्र।

शुभकामनाओं सहित...

मारवाड़ी युवा मंच के मुख्य उद्देश्य

- | | |
|--|---|
| क) अखिल भारतीय मारवाड़ी युवा मंच के उद्देश्यों का प्रचार-प्रसार एवं क्रियान्वयन करना। | सराहनीय योगदान दे सकें और समाज को गौरवान्वित करें। |
| ख) समाज एवं समाज के सदस्यों का सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, शारीरिक, बौद्धिक व नैतिक स्तर पर सर्वांगीण विकास करना, जिससे वे देश की उन्नति व प्रगति में | ग) सशक्त मारवाड़ी युवा संगठन के निर्माण हेतु मंच की शाखाओं के गठन हेतु प्रयास करना। |
| | घ) बिना जातिगत व धार्मिक भेदभाव के जन साधारण के लाभार्थ जनसेवा व विकास कार्यक्रमों का सम्पादन करना। |



युवा साथियों

नमस्कार

अमृतधारा माह - मई 2025

ग्रीष्मकाल अपने उफान पर है। पेयजल की कमी होना स्वाभाविक है। यह गम्भीर समस्या भी है। विशेषकर उन क्षेत्रों में जहाँ स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता सीमित होती है। इसलिए आमजन के सहायार्थ 'अखिल भारतीय मारवाड़ी युवा मंच' ने मई माह (1 मई से 31 मई) को अमृतधारा माह घोषित किया है।

स्थल: सभी शाखाएं एवं सक्षम सदस्यगण स्थानीय स्तर पर अपने प्रतिष्ठान के बाहर, सार्वजनिक स्थलों - स्कूल, विद्यालयों, बस अड्डों, भीड़भाड़ वाली जगहों, पार्कों, मंदिरों, चौपालों पर शहर में जगह-जगह स्थायी (पक्की प्याऊ, वाटर कूलर) एवं अस्थायी (चलन्त प्याऊ, मटका, वाटर जग आदि माध्यम से) पेयजल सेवा का यथाशीघ्र शुभारम्भ करें।

स्वच्छता: स्थायी अमृत धारा लंबी अवधि का समाधान हैं जबकि अस्थायी कूलर गर्मियों में त्वरित सुविधा प्रदान करते हैं। पेयजल साफ-स्वच्छ, शीतल होना चाहिए। पुरानी स्थायी अमृतधारा की मरम्मत व



अखिल भारतीय मारवाड़ी युवा मंच

राष्ट्रीय कार्यक्रम
अमृतधारा

1 मई से 31 मई तक

मई माह को **अमृतधारा माह** के रूप में मनावें

सेवा का सत्त्वास्वरूप-शीतल अमृतधारा

विशेष पुरस्कार

शाखाएं अपनी पूर्व स्थापित अमृतधाराओं का नवीनीकरण करते हुए दोनों फोटो प्रांतीय संयोजक को भेजें। राष्ट्रीय से चयनित 5 शाखाओं को विशेष पुरस्कार दिया जाएगा।

अमृतधारा माह में सर्वाधिक स्थायी अमृतधारा स्थापित करने वाली देश की सर्वश्रेष्ठ 5 शाखाओं को सम्मानित किया जाएगा।

अमृतधारा माह में सर्वाधिक स्थायी अमृतधारा स्थापित करने वाली देश की सर्वश्रेष्ठ 5 शाखाओं को विशेष पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा।




जल ही जीवन है, अमृत का ये नाम,
इसके बिना सूना है हर एक धाम।

युवा सुरेश एम. जैन
राष्ट्रीय अध्यक्ष

युवा मोहित अग्रवाल
राष्ट्रीय संयोजक-अमृतधारा
Call: +91 9851789445

युवा मोहित अग्रवाल
राष्ट्रीय संयोजक - अमृतधारा

साफ-सफाई करवाकर प्रारम्भ करें। एक अन्तराल के बाद अमृतधारा की साफ-सफाई करवायें।

प्रायोजक: प्याऊ के बाहर मंच का बैनर या स्थायी रूप से लिखवा सकते हैं। अमृतधारा के शुभारम्भ हेतु 'स्पॉन्सर' की व्यवस्था की जा सकती है। इससे मंच की जनसेवा के रूप में पहचान बढ़ेगी। सदस्यों का जनसेवा के प्रति रुझान के साथ मंच की पहचान भी बढ़ेगी।

सद्भाव व जागरूकता: अखिल भारतीय मारवाड़ी युवा मंच की अमृतधारा प्रकल्प का उद्देश्य हर व्यक्ति को स्वच्छ और ठंडा पेयजल उपलब्ध कराना है। जल संरक्षण व संवर्धन हेतु शिविरों का आयोजन कर आमजन में जागरूकता फैलाई जा सकती है। यह प्रयास न केवल मानवीय संवेदनाओं को साकार करता है, बल्कि स्वास्थ्य और स्वच्छता के दृष्टिकोण से भी

अत्यंत प्रभावी है।

सम्मान: सर्वश्रेष्ठ प्याऊ संचालन हेतु प्रथम पांच शाखाओं एवं प्रथम दो प्रांतीय अमृतधारा संयोजकों को सम्मानित किया जायेगा।

आइए, इस ग्रीष्मकाल में हर प्यास बुझाएं और स्वच्छ जल की ओर ठोस कदम बढ़ाएं।



युवा प्रियंका जैन
राष्ट्रीय संयोजक - नारी चेतना

“मां वह है जिससे हमारा अस्तित्व है, ममता जो बरसाए, करुणा जो दिखाएं, निस्वार्थ प्यार जो लुटाए एवं हर पल सबकी बुरी नजरों से हमको बचाए।” 11 मई मातृत्व दिवस के उपलक्ष्य पर मातृस्तुति, मातृ वंदन पखवाड़ा का आयोजन के पीछे का लक्ष्य यही था कि हम सब मिलकर अपनी माता के प्रति छिपे हमारे भावों को शब्दों में पिरोकर सबके बीच ला सकें। मंच साथियों में छिपी लेखन शैली एवं उनके अंदर छिपे कवि को सबके सामने ला सकें। इस पखवाड़े में शाखाएं मातृत्व उत्सव मनाने के लिए अनेकानेक कार्यक्रम रख सकती हैं जैसे महिलाओं के स्वास्थ्यवर्धन हेतु कुछ ऑनलाइन-ऑफलाइन वर्कशॉप का आयोजन, महिलाओं के स्वास्थ्य संबंधित जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन, कठपुतली शो, टॉक शो जिसमें मां से उनके जमाने में उनके अनुभव साझा करने को कह सकती हैं, पुरानी और नई पीढ़ी में सामंजस्य एवं क्या बदलाव जरूरी है वह माताओं से जान सकते हैं, 1 मिनट गेम शो भी रख सकती हैं, कुछ स्पेशल भेंट स्पेशल माताओं के लिए जैसे कार्यक्रम भी आयोजित कर सकती हैं, बहु बेटियां अपनी मां सासु मां के लिए उनके बचपन के कुछ यादगार पल की भेंट दे सकती हैं। पूरे पखवाड़े में हुए नारी चेतना कार्यक्रम की समुचित जानकारी नारी चेतना संयोजक को अवश्य दें।



अखिल भारतीय मारवाड़ी युवा मंच

ALL INDIA MARWARI YUVA MANCH

मातृस्तुति एवं मातृवंदन पखवाड़ा

माँ का सम्मान, प्यार का अभियान

हमारे तो होसला देती है माँ
गिरती हूँ तो धाम लेती है माँ
जब नाम हो आँखें तो धूप लेती है माँ
झुकाए सारी दुनिया तो साथ देती है माँ
सबसे प्यारी सबसे न्यारी है माँ
सबको मैं कैसे क्या मैं करूँ सबसे अनमोल है माँ

ममता, मनुहार, करुणा - वास्तव्य की प्रतिमूर्ति
निबंध प्रतियोगिता (200 words limit)

ममता की छाँव में कविता प्रतियोगिता
(8 lines minimum - 24 lines maximum)

आइये हम सब मिलकर माँ के प्रति अपने प्रेम को शब्दों में पिरोए

25 April 2025 - 11 May 2025

उम्र सीमा -18 वर्ष से अधिक

केवल मारवाड़ी युवा मंच के सदस्यों के लिए

नियमावली

- ✗ E-certificate सभी प्रतिभागियों के लिए
- ✗ नाम, शाखा एवं प्रांत का नाम स्पष्ट लिखें सभी प्रविष्टि अपने प्रांत की नारी चेतना संयोजक/संयोजिका के साथ साझा करें।
- ✗ प्रांतीय नारी चेतना संयोजक/प्रांतीय अध्यक्ष दोनो प्रतियोगिता के लिए 3-3 entries राष्ट्रीय नारी चेतना संयोजिका को भेजें।
- ✗ हाथ से लिखें। केंच पर लिखें। हर्ड प्रविष्टि-मान्य नहीं होगी। केवल मोबाइल पर टाइपिंग की हुई प्रविष्टि ही मान्य होगी।
- ✗ अंतिम तिथि के बाद कोई भी प्रविष्टि नहीं ली जाएगी। अतः अंतिम तिथि से पहले भेजने का विचार अनुरोध है।
- ✗ निर्णायकगणों का निर्णय ही सर्वोपरि होगा।
- ✗ श्रेष्ठ लेख/कविता को आगामी 'नवीं डी विवेक' में सम्मिलित किया जाएगा।
- ✗ सभी प्रांती से प्राप्त प्रविष्टियां से चयनित तीन-तीन प्रविष्टियों को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा।

युवा सुरेश एम जैन
राष्ट्रीय अध्यक्ष

युवा प्रियंका जैन
राष्ट्रीय संयोजिका- नारी चेतना

वर्ष : 33, अंक : 209, पृष्ठ : 04, 04-05 मई 2025

शाखा पदाधिकारियों के अधिकार एवं कर्तव्य

शाखान्तर्गत चुनाव प्रक्रिया पूर्ण हो गयी होगी, किसी कारणवश यदि अभी तक चुनाव नहीं हुए हैं तो जल्द से जल्द चुनाव कराकर सत्र 2025-26 की नई टीम को दायित्व हस्तांतरण करें। यदि गत वर्ष के पदाधिकारी ही वर्तमान वर्ष के पदाधिकारी नियुक्त किये गये हैं तो राष्ट्रीय कार्यालय के ईमेल पते पर भेजकर सुनिश्चित करें। संविधान अनुसार शाखान्तर्गत कार्यों के बेहतर संचालन हेतु पदाधिकारियों के अधिकार एवं कर्तव्य नीचे दिये जा रहे हैं :-

अ) शाखा अध्यक्ष:

- कार्यकारिणी समिति की सभा, साधारण सभा, अन्य सभा एवं समारोहों का सभापतित्व कर कार्यवाही का वैधानिक रूप से संचालन करना।
- आवश्यकता होने पर सभा बुलाने की स्वीकृति देना या व्यवस्था करना।
- किसी प्रस्ताव पर मत या संख्या बराबर होने पर निर्णायक मत देकर निर्णय करना।
- आवश्यकता पड़ने पर बहुमत की सहमति से अथवा विशेष स्थिति उत्पन्न होने पर किसी भी विवादास्पद विषय पर विचार स्थगित करना।
- समितियों एवं उपसमितियों का गठन करना एवं अगली कार्यकारिणी समिति की सभा में गठन पर स्वीकृति प्राप्त करना।
- कार्यकारिणी समिति द्वारा गठित समितियों एवं उपसमितियों में पदेन सदस्य होना या अपनी जगह उसमें किसी भी उपाध्यक्ष को पदेन सदस्य घोषित करना।
- अति आवश्यक परिस्थितियों में प्रतिनिधि मंडल की नियुक्ति करना एवं उनके कार्यों आदि का निर्धारण करना।
- सम्मेलन की स्थानीय इकाई के साथ सम्पर्क एवं सामंजस्य बनाए रखना।
- शाखा की गतिविधियों से मंच के राष्ट्रीय एवं प्रांतीय कार्यालय को सूचित करना।
- राष्ट्रीय एवं प्रांतीय कार्यक्रमों तथा निर्देश-पत्रों को शाखा की कार्यकारिणी समिति के समक्ष सूचनार्थ जल्दी से जल्दी प्रस्तुत करना एवं समस्त सदस्यों की जानकारी में लाना।
- शाखा के सदस्यों के साथ निरन्तर सम्पर्क बनाए रखना।
- ऐसे किसी भी विषय पर जो निर्विवाद रूप से मंच के उद्देश्य की परिधि में हों और जिस पर निर्णय करने के लिए कार्यकारिणी समिति की बैठक बुलाने के लिए समय नहीं हो, अध्यक्ष कार्यवाही कर सकता है, पर इस विषय में कार्यकारिणी समिति की अगली सभा को अवगत कराना आवश्यक होगा।
- मंच एवं शाखा की गतिविधियों के उचित प्रचार की व्यवस्था करना।
- शाखा कार्यकारिणी में धारा 12 (ओ) के अनुसार पदाधिकारियों का मनोनयन करना, धारा 12 (इ) के अनुसार सदस्यों का मनोनयन करना तथा 12 (ई) के अनुसार कार्यकारिणी समिति में हुई रिक्तता की पूर्ति करना।

आ) शाखा मंत्री:

- शाखा के समस्त कार्यों का संविधान के अनुसार संचालन करना तथा उनका पूर्ण विवरण रखना।
- आवश्यकतानुसार एवं संविधानानुसार कार्यकारिणी समिति एवं साधारण सभा की बैठकों का आह्वान एवं आयोजन करना।
- प्रत्येक बैठक का पूर्ण विवरण रखना तथा आगामी बैठकों में इसे प्रस्तुत करना।
- समितियों, उपसमितियों एवं विभागों की कार्यप्रगति के संदर्भ में पूर्ण जानकारी रखना एवं उनके साथ सम्पर्क एवं सामंजस्य बनाये रखना। आवश्यक कार्य विवरण रखना।
- अध्यक्ष द्वारा सौंपे गये कार्यों का सम्पादन करना।
- कार्यकारिणी समिति के निर्णयों को कार्यान्वित कराने हेतु हर संभव प्रयास करना।
- मंच के राष्ट्रीय एवं प्रांतीय कार्यालय से निरन्तर सम्पर्क रखना।
- शाखा की गतिविधियों के बारे में सम्मेलन की स्थानीय एवं प्रादेशिक इकाईयों को समय-समय पर सूचित करते रहना।

- मंच के उद्देश्यों का प्रचार तथा प्रस्तावों को कार्यान्वित करने के लिये प्रयत्न करना।
- शाखा की कार्यकारिणी समिति को मंच की अन्य शाखाओं की गतिविधियों से अवगत कराते रहना।
- शाखा के प्रगति विवरण विभिन्न स्तरों पर प्रस्तुत करना।
- शपथ विधि समारोह में वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करना।
- शाखा की सम्पत्ति को पूर्ण रूपेण सुरक्षित रखना, उसका हिसाब रखना तथा आवश्यकता पड़ने पर मंच के लिए व्यवहार में लाना।
- शाखा के कार्य संचालन हेतु उचित व्यय करना।
- कोषाध्यक्ष को हर संभव सहयोग प्रदान करना।
- सोसाइटीज पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत शाखा का पंजीकरण करवाना तथा उसे प्रभावी बनाये रखने के लिए आवश्यक कानूनी/प्रशासनिक कार्यवाही करते रहना।

इ) शाखा कोषाध्यक्ष:

- सदस्यों से शुल्क वसूल करना एवं इस उद्देश्य हेतु आवश्यक कार्यवाही करना।
- शाखा की बकाया राशि को एकत्रित करने का प्रबन्ध करना।
- शाखा के अध्यक्ष व मंत्री द्वारा शाखा संचालन हेतु किये गये व्यय का उन्हें भुगतान करना तथा कार्यकारिणी समिति की सभा में व्यय पर स्वीकृति लेना।
- कार्यकारिणी समिति द्वारा स्वीकृत व्यय के अन्तर्गत संबंधित समितियों एवं उपसमितियों की सलाहानुसार व्यय का भुगतान करना।
- मंच के राष्ट्रीय कार्यालय को संविधानानुसार शुल्क का भुगतान करना।
- शाखा के कोष में धन उपलब्ध नहीं रहने पर अध्यक्ष से सलाह करना एवं सलाहानुसार उचित कार्यवाही करना।
- शाखा के बैंक खाते की देख-रेख करना।
- शाखा की कोष संग्रह समिति से हिसाब लेकर संग्रहित धन शाखा के बैंक खातों में जमा करवाना।
- शाखा के आय-व्यय एवं सम्पत्ति-दायित्वों का पूर्ण हिसाब रखना।
- शाखा के कोष में से 5,000/- रुपये या शाखा की कार्यकारिणी समिति द्वारा स्वीकृत राशि को मंच के उद्देश्यों हेतु अपने पास नगद रखना।
- शाखा की आर्थिक स्थिति के बारे में कार्यकारिणी समिति, मंच के राष्ट्रीय एवं प्रांतीय अधिकारियों को त्रैमासिक विवरण देना।
- शाखा की कार्यकारिणी समिति के चुनावों के पूर्व चुनाव अधिकारी एवं मंत्री को उन सदस्यों की सूची देना जिनके नाम शाखा के खातों में बकाया राशि है या जिन्होंने चालू वर्ष में शुल्क का भुगतान नहीं किया है।
- शाखा के अध्यक्ष/मंत्री/समितियों एवं उपसमितियों द्वारा सिफारिश किये गये व्यय के भुगतान को कार्यकारिणी समिति की सभा तक रोक लेना, यदि उसे व्यय के सही होने के बारे में कोई उचित संदेह हो एवं कार्यकारिणी समिति की अगली सभा में ऐसे व्यय को स्वीकृति हेतु प्रस्तुत करना।
- अध्यक्ष, मंत्री या सम्बन्धित समिति के संयोजक की सिफारिश के बिना कोषाध्यक्ष कोई भी व्यय का भुगतान नहीं कर सकेगा, यदि वह अधिकृत व्यय से अधिक है।
- आयकर, अधिनियम 1961 के तहत शाखा का पंजीकरण करवाना, वार्षिक रिटर्न जमा करवाना तथा अन्य आवश्यक कानूनी/प्रशासनिक कार्यवाही करते रहना।

शाखाओं को अपने कार्य करने एवं सदस्यता फीस प्राप्त करने के लिए बैंक खाता खोलने की

आवश्यकता होती है, साथ ही विभिन्न सरकारी अनुदान एवं सहायता प्राप्त करने हेतु भी शाखा का सोसाइटी एक्ट में रजिस्टर्ड होना आवश्यक है। यहाँ यह बात महत्वपूर्ण है कि राष्ट्रीय या प्रांतीय इकाई के सोसाइटी एक्ट में रजिस्टर्ड होने के बावजूद शाखाओं को सरकारी अनुदान या सहायता प्राप्ति के लिए अलग रजिस्ट्रेशन लेना होगा। किसी भी स्थायी जनसेवा कार्य जैसे निशुल्क प्राथमिक चिकित्सा केंद्र, शिक्षण केंद्र आदि के लिए समाज कल्याण मंत्रालय या अन्य सरकारी संस्थान से सहायता या अनुदान लेने के लिए उसका सोसाइटी अधिनियम में रजिस्टर्ड होना पहली अनिवार्य आवश्यकता है।

अतः प्रत्येक शाखा को सोसाइटी अधिनियम के तहत स्वयं को रजिस्टर कराना होगा। इसके पश्चात ही वे खाता खोलने एवं अनुदान या सहायता के पात्र होंगे। इसके लिए प्रत्येक राज्य की राजधानी एवं अन्य शहरों में रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटी के कार्यालय हैं, जहाँ से फार्म प्राप्त किये जा सकते हैं। आवश्यकता पड़ने पर किसी विशेषज्ञ की सेवाएं लेकर कार्य करवाया जा सकता है।

सोसाइटी अधिनियम एक्ट के अन्तर्गत पंजीकरण

सोसाइटी रजिस्ट्रेशन के लिए निम्न प्रावधानों का ध्यान रखना आवश्यक है :-

- 1) सर्वप्रथम सोसाइटी का नाम का चयन करें। जैसे - 'मारवाड़ी युवा मंच, ... शाखा'
- 2) सोसाइटी के गठन के लिए न्यूनतम 5 सदस्यों का चयन करें। इन सदस्यों के पैन कार्ड एवं निवास सम्बंधित दस्तावेज देने होंगे।
- 3) सोसाइटी के परिचालन सम्बन्धी नियमावली (बाई लॉज) जैसे - सदस्यता, मीटिंग आदि से सम्बंधित नियम संलग्न करने होंगे।
- 4) कुछ राज्यों में रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन ऑनलाइन आवश्यक है।
- 5) रजिस्ट्रेशन शुल्क का भुगतान।
- 6) रजिस्ट्रेशन के पश्चात लेखों का ऑडिट वित्तीय वर्ष करवाना होगा।
- 7) सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंतर्गत सर्टिफिकेट की देय तिथि के बाद निर्धारित शुल्क के साथ नवीनीकरण कराना जरूरी है।

सोसाइटी अधिनियम के तहत रजिस्ट्रेशन के पश्चात उसी नाम से पैन कार्ड के लिए आवेदन करें। पैन कार्ड व्यक्तियों के समूह (AOP) के अंतर्गत प्राप्त करें। एक बार पैन कार्ड लेने के पश्चात प्रत्येक वर्ष उसका आयकर विवरण दाखिल करना होगा।

नई शाखा गठन हेतु प्राथमिक आवश्यकताएं

- सर्वप्रथम शाखा के गठन हेतु कम से कम 21 सदस्यों का होना अनिवार्य है।
- तत्पश्चात् 'शाखा मान्यता हेतु आवेदन पत्र' की सभी औपचारिकताएं पूर्ण करनी अनिवार्य होती है।
- जिसमें सदस्यों के नाम, पूरा पता, फोन नम्बर, ईमेल पता, मय फोटो के सदस्यों के आवेदन फॉर्म, जन्म तिथि (मय स्टेण्डर्ड साक्ष्य के) सहित सदस्यों की सूची साथ में संलग्न करनी अनिवार्य है।
- इनके साथ संस्थापक कार्यकारिणी समिति की सूची संलग्न करनी होती है।
- प्रत्येक सदस्य की जन्म तिथि साक्ष्य हेतु जैसे हाई स्कूल प्रमाणपत्र, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट इत्यादि में से किसी एक की कापी (स्पष्ट पढ़ने योग्य) साथ में संलग्न करना अनिवार्य है।
- शाखा गठन हेतु पंजीकरण शुल्क 500/- रुपये (प्रथम बार) और

800/- रुपये प्रति सदस्य के हिसाब से राष्ट्रीय शुल्क

- साथ में देना है, जिसमें सदस्यता किट के 200/- रुपये शामिल हैं।
- सदस्यता पंजीयन किट में नये सदस्य को सदस्यता प्रमाणपत्र, पहचान पत्र, सदस्य बैज, संविधान, शाखा मैनुअल, मंच परिचय, मंच उद्देश्य, मंच दर्शन, दो मंच स्टीकर, डायरेक्ट्री (उपलब्ध अनुसार) किट बैग में रखकर पोस्ट पार्सल से भेजे जाते हैं।
- पुराने सदस्य हेतु पहचान पत्र बनवाने की राशि 50/- रुपये है।
- उपरोक्त सभी दस्तावेज तैयार कर शाखाध्यक्ष द्वारा प्रांतीय अध्यक्ष को भेजने अनिवार्य हैं।
- प्रान्तीय अध्यक्ष को अपने अनुशंसा पत्र के साथ ये सभी दस्तावेज राष्ट्रीय कार्यालय भेजने होते हैं।
- दस्तावेजों की पूर्णता की स्थिति में राष्ट्रीय कार्यालय द्वारा मान्यता प्रदान करने की प्रक्रिया सुनिश्चित की जाती है।

प्रेषक:

राष्ट्रीय कार्यालय

अखिल भारतीय मारवाड़ी युवा मंच

3432/13, हसन बिल्डिंग, द्वितीय तल,

निकल्सन रोड, कश्मीरी गेट, दिल्ली- 110006

दूरभाष : 011-23911641, 9211116264

सेवा में

Printed & Published by Shri Nikunj Gupta on behalf of All India Marwari Yuva Manch, Printed at Pushpak Press Pvt. Ltd., 203-204 DSIDC Sheds, Okhla Industrial Area, Phase- 1, New Delhi-110020, and Published from 3432 / 13, Hasan Building, Nicholson Road, Kashmere Gate, Delhi - 110006, Ph. 011-45627626, 9211116264, Editor : Pawan Gupta

Editorial Board: Editor: Pawan Gupta; Managing Editors: Pankaj Bardia, Mohit Nahata

वर्ष : 33, अंक : 209, पृष्ठ : 04, 04-05 मई 2025